


क्र हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०। प्रतिवादी पैरोकार उप०। उभय पक्ष को सुना।</p> <p>वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 182, 191, 196, 235, 794/233 रकबा क्रमशः 44.04, 7.04, 7.04, 10.02, 1.00 बीघा भूमि मौजा-शिव, पटवार मण्डल-शिव, तह० शिव मे अवस्थित है। यह खातेदारी जोत वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता पोला के फौत के बाद विरासत में प्राप्त है।</p> <p>राजस्व रेकर्ड मे फौतगी नामान्तरण की कार्यवाई करते समय लिपिकीय भुल होने के कारण उसके रिश्तेदारों द्वारा भूलवंश वादी का घरेलू नाम छगना अंकित करवा दिया गया, जबकि वादी का सही नाम चनणाराम है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम चनणाराम दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाब मे वादी के नाम को दुरुस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। हल्का पटवारी एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी जांच में वादी का नाम छगना के स्थान पर चनणाराम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमाबंदी, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।</p> <p>हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब व जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम चनणाराम ही है।</p> <p>लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 182, 191, 196, 235, 794/233 रकबा क्रमशः 44.04, 7.04, 7.04, 10.02, 1.00 बीघा भूमि मौजा-शिव, पटवार मण्डल-शिव, तह० शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम छगना के स्थान पर चनणाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।</p>	


 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
 शिव, जिला-बाड़मेर

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.
वादी :- चनणाराम पुत्र पोलाराम, जाति- माली, नि० नागोरियों की ढाणी, शिव
तह० शिव।

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. बांका पुत्र पोला, जाति, माली, नि० नागोरियों की ढाणी, शिव
2. राज० राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :- 1. श्री भगवानदास गोयल एडवोकेट- वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 02 पैराकार उप०।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के
समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी
जाती है कि:-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 182, 191, 196, 235,
794/233 रकबा कमशः 44.04, 7.04, 7.04, 10.02, 1.00 बीघा भूमि मौजा-शिव, पटवार
मण्डल-शिव, तह० शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए
वादी का नाम छगना के स्थान पर चनणाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव
को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता
है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी
की गयी।


(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

